

बेलागवी सीमा वविाद

प्रलिमिंस के लयि:

एस.के. धर समति, जे.वी.पी. समति, महाजन समति, राज्य पुनरगतन अधनियिम ।

मेन्स के लयि:

भारत में राज्यों का पुनरगतन और संबधति वविाद ।

चरचा में क्यों?

कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य बेलागवी को लेकर दशकों पुराना वविाद तथा महाराष्ट्र जसि बेलगाम ज़िला कहता है फरि से सुखियों में बना हुआ है ।

- बेलगाम या बेलागवी वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हसिसा है लेकनि महाराष्ट्र द्वारा इस पर अपना दावा कयिा जाता है ।



प्रमुख बदि

- बेलागवी सीमा वविाद के बारे में:
 - वर्ष 1957 में राज्य पुनरगतन अधनियिम, 1956 के कार्यान्वयन से आहत महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुनः समायोजन की मांग की ।
 - महाराष्ट्र ने अधनियिम की धारा 21 (2) (b) को लागू कयिा और कर्नाटक में मराठी भाषी क़्षेत्रों को जोड़ने पर अपनी आपत्तवियक़्त करते हुए गृह मंत्रालय को एक ज़ापन सौंपा ।
 - महाराष्ट्र द्वारा 2,806 वर्ग मील के क़्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत कयिा गया जसिमें 814 गाँव शामिल थे और लगभग 6.7 लाख की कुल आबादी के साथ बेलागवी, कारवार और नपिपनी की तीन शहरी बस्तियाँ । स्वतंत्रता से पहले ये सभी मुंबई प्रेसीडेंसी का हसिसा थे ।
 - ये गाँव उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक के बेलागवी, उत्तर कन्नड़ और उत्तर-पूरवी कर्नाटक के बीदर और गुलबर्गा ज़िलों में फैले हुए हैं जो सभी महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं ।
 - बाद में जब दोनों राज्यों द्वारा चार सदस्यीय समति का गठन कयिा गया, तो महाराष्ट्र ने मुख्य रूप से लगभग 3.25 लाख की आबादी और

1,160 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल के साथ कर्नाट भाषी 260 गाँवों को स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की।।

- यह 814 गाँवों और तीन शहरी बस्तियों की मांग को स्वीकार करने के बदले में था, जसि कर्नाटक राज्य द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया।

■ महाराष्ट्र के दावे का आधार:

- अपनी सीमा के पुनः समायोजन की मांग करने का महाराष्ट्र का दावा भाषायी बहुमत और लोगों की इच्छाओं के आधार पर था। बेलागवी और आसपास के क्षेत्रों पर दावा मराठी भाषी लोगों और भाषायी एकपुता पर आधारित था, अतः इसने कारवार और सुपा पर अपना दावा प्रस्तुत किया क्योंकि यहाँ कोंकणी को मराठी की उपबोली के रूप में बोला जाता है।
- यह तर्क इस सिद्धांत पर आधारित था कि गाँव गणना की इकाई हैं और प्रत्येक गाँव में भाषायी जनसंख्या की गणना की जाती है। महाराष्ट्र ऐतिहासिक तथ्य की ओर भी इशारा करता है कि इन मराठी भाषी क्षेत्रों में राजस्व रिकॉर्ड भी मराठी भाषा में ही रखा जाता है।

■ कर्नाटक की स्थिति:

- कर्नाटक ने तर्क दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमाओं का समझौता अंतिम है।
- राज्य की सीमा न तो अस्थायी थी और न ही लचीली। राज्य का तर्क है कि यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को फरि से खोल देगा जिन पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है, अतः ऐसी मांग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

■ समस्या के समाधान के लिये उठाए गए कदम:

- वर्ष 1960 में दोनों राज्य प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधियों के साथ एक चार सदस्यीय समिति गठित करने पर सहमत हुए। नकिटता के मुद्दे को छोड़कर समिति एक सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुँच सकी।
- 1960 और 1980 के दशक के बीच कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने इस उलझे हुए मुद्दे का समाधान खोजने के लिये कई बार मुलाकात की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

■ केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया:

- केंद्र सरकार ने स्थितिका आकलन करने के लिये वर्ष 1966 में **महाजन समिति** का गठन किया। दोनों पक्षों, महाराष्ट्र और तत्कालीन मैसूर राज्य के प्रतिनिधिसमितिका हसिसा थे।
- 1967 में समिति ने सफारिश की कि कर्नाटक के कारवार, हलयाल और सुपर्णा तालुका के कुछ गाँव महाराष्ट्र को दे दिये जाएँ लेकिन बेलागवी को दक्षिणी राज्य के साथ छोड़ दिया।

■ सर्वोच्च न्यायालय का जवाब:

- 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिये और भाषायी मानदंड पर विचार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे अधिक व्यावहारिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।
- इस मामले की सुनवाई अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है।

■ विभिन्न राज्यों के बीच अन्य सीमा विवाद:

- [असम और मजोरम के बीच सीमा विवाद](#)
- [ओडिशा सीमा विवाद](#)

भारत में राज्यों का पुनर्गठन:

- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 550 असंबद्ध रियासतें शामिल थीं।
- वर्ष 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का चार गुना वर्गीकरण था- भाग A, भाग B, भाग C और भाग D राज्य।
 - **भाग A** राज्यों में ब्रिटिश भारत के नौ तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे।
 - **भाग B** राज्यों में विधायिकाओं के साथ नौ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं।
 - **भाग C** राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं।
 - **भाग D** राज्य में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे।
- उस समय राज्यों का समूहीकरण भाषायी या सांस्कृतिक विभाजन के बजाय राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारों के आधार पर किया जाता था, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था थी।
- बहुभाषी प्रकृति और विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद मतभेदों के कारण राज्यों को स्थायी आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी।
- इस संदर्भ में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर गौर करने के लिये सरकार द्वारा **1948 में एस.के. धर समिति** का गठन किया गया था।
 - आयोग द्वारा भाषायी आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार को शामिल करते हुए **प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन** को प्राथमिकता दी गई।
 - इससे बहुत आक्रोश पैदा हुआ और एक अन्य भाषायी प्रांत समिति की नियुक्ति की गई।
- **दिसंबर 1948** में इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की **जेवीपी समिति** का गठन किया गया था।
 - समिति ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को खारिज करते हुए कहा कि जनता की मांग के आलोक में इस मुद्दे को नए सारे से देखा जा सकता है।
- हालाँकि **अक्टूबर 1953** में वरिष्ठ के कारण भारत सरकार ने तेलुगू भाषायी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके पहला भाषायी राज्य बनाया जसि **आंध्र राज्य के रूप में** जाना जाता है।
- **22 दिसंबर, 1953** को जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिये फज़ल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया।
 - आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सुझाव दिया कि पूरे देश को 16 राज्यों और तीन केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिये।
- सरकार ने सफारिशों से पूरी तरह सहमत न होते हुए नवंबर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत **देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित** कर दिया।

- वर्ष 1956 में राज्यों के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन के बाद भी लोकप्रिय आंदोलनों और राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव के कारण भारत के राजनीतिक मानचित्र में नरंतर परिवर्तन होते रहे।
- 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के **अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा** प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिये आवेदन) आदेश, 2019 जारी किया था।
 - इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को दो नए केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
- हाल ही में **दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का वलिय) अधिनियम, 2019** द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)- **दमन और दीव (D&D) तथा दादरा और नागर हवेली (DNH)** का वलिय कर दिया गया है।
- वर्तमान में भारत में **28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश** हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/belagavi-border-dispute>

